प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–59/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनुज यादव को भौरीगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.02.2024 को वादी रिंकू यादव पुत्र मनीराम यादव ग्राम कुडियाव थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन की शादी दिनांक 01.06.2023 को टेढई मांझा पसका के रहने वाले अनुज से की गयी थी। उनकी बहन को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी करनैलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्त अनुज यादव को आज दिनांक 20.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनुज यादव पुत्र नान्हू यादव नि0 टेढई मांझा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0सं0–59/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामअशीष मौर्य।
02. का0 अभिषेक यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.02.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा महिला को विधवा पेंशन दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-309/2023, धारा 420, 452, 376, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहब्बत अली पुत्र ताहिर अली निवासी ग्राम विशुनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को कस्बा विशुनापुर टैक्सी स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना खरगूपुर पुलिस को जरिये डाक सूचना मिली कि प्रार्थीनी एक विधवा महिला है विपक्षी द्वारा विधवा पेंशन दिलाने के नाम पर फोटो व आधार कार्ड लेकर कूटरचित निकाह तैयार करा लिया और घर में घुसकर जबरजस्ती दुराचार किया था। वादिनी की तहरीर पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0-309/2023, धारा 420, 452, 376, 506 भादवि बनाम मोहब्बत अली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 20.02.2024 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त मोहब्बत अली को विशुनापुर टैक्सी स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहब्बत अली पुत्र ताहिर अली निवासी ग्राम विशुनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

कस्बा विशुनापुर टैक्सी स्टैण्ड थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-309/2023, धारा 420, 452, 376, 506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष दिनेश सिंह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. का0 अमन सिंह
03. का0 सत्यजीत मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 20.02.2024, थाना को0नगर</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना को0नगर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-</u>

<u>कार्यवाही-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-99/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों 01. देवता प्रसाद यादव 02. बदलू यादव को बनकटवा रोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 18.02.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लडकी की शादी 04 वर्ष पूर्व देवता प्रसाद यादव के साथ हुई थी। वादिनी लड़की को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 02 आरोपी अभियुक्तों 01. देवता प्रसाद यादव, 02. बदलू यादव को आज दिनांक 20.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

01. देवता प्रसाद यादव पुत्र बदलू यादव निवासी शंकरपुरवा मथुराचौबे थाना को0नगर गोण्डा।
02. बदलू यादव पुत्र स्व0 अगनू यादव निवासी शंकरपुरवा मथुराचौबे थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-99/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय
02. का0 पंकज सिंह
03. का0 संदीप कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 20.02.2024, संपूर्ण समाधान दिवस

जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील करनैलगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 20.02.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में करनैलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा तहसील मनकापुर पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी करनैलगंज, क्षेत्राधिकारी करनैलगंज, तहसीलदार करनैलगंज, प्र0नि0 को0 करनलैगंज आदि सहित सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2024, थाना कोतवाली देहात
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 51/2024, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तों 01. रिजवान, 02. निजाम अली, 03. रमजान अली को थाना कोतवाली देहात पुलिस के अथक प्रयास से झंझरी ब्लाक के पास डेहरास मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक बहन को विपक्षीगण द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0सं0- 51/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम रिजवान आदि 04 के विरूद्ध सुसंगत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.02.2024 को थाना को0देहात की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत 03 नफर वांछित अभियुक्तों 01. रिजवान, 02. निजाम अली, 03. रमजान अली को थाना कोतवाली देहात पुलिस के अथक प्रयास से झंझरी ब्लाक के पास डेहरास मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(2)N भादवि व 5L/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रिजवान पुत्र स्व0 इस्लाम निवासी रुदईपुरवा मौजा खरगूपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. निजाम अली पुत्र बाबू अली निवासी रुदईपुरवा मौजा खरगूपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. रमजान अली पुत्र बाबू अली निवासी रुदईपुरवा मौजा खरगूपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 51/2024, धारा 363, 366, 376(2)N भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
02. हे0का0 चन्द्रकेष भाष्कर
03. हे0का0 शत्रुधन मौर्या
04. म0का0 सपना वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2024, थाना कोतवाली देहात
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फ़सला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 49/2024, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. रविश कुमार को थाना कोतवाली देहात पुलिस के अथक प्रयास से टामसन स्कूल गेट के सामने थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 49/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम रविश कुमार के विरूद्ध सुसंगत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.02.2024 को थाना को0देहात की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. रविश कमार गोस्वामी को थाना कोतवाली देहात पुलिस के अथक प्रयास से टामसन स्कूल गेट के पास थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रवीश कुमार गोस्वामी पुत्र सुघ्घर लाल गोस्वामी निवासी ग्राम गोसांई पुरवा मौजा गोगिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 49/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुभाष यादव
02. हे0का0 अभिमन्यु गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 20.02.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

20 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कौडीया पुलिस ने 03, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04, थाना करनैलगंज पुलिस ने 03, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 03, थाना नवागबंज पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना को0देहात पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा, 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (1.1 किलोग्राम गाँजा) के साथ अभियुक्त यासीन पुत्र करीम बक्श, निवासी ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को धर्मेई से माफी पुरवा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद मोबाईल, रू0 510/- नगद व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0स0- 67/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 20.02.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 धर्मराज शर्मा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि धर्मेई से माफी पुरवा जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (1.1 किलोग्राम गाँजा), 01 अदद मोबाईल, रू0 510/- नगद व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया तथा अभियुक्त यासीन पुत्र करीम बक्श को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. यासीन पुत्र करीम बक्श, निवासी ग्राम धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 67/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 1 कि0ग्रा0 100 ग्राम नाजायज गांजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद
2. 01 अदद मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त,
3. 01 अदद मोबाइल
4. 510/- रूपये नकद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 धर्मराज शर्मा

02. हे0का0 संजय निषाद

03. का0 आदित्य राय

04. का0 शशांक द्विवेदी

अभियुक्त यासीन पुत्र करीम बक्श का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 29/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना इटियाथोक गोण्डा
2. मु0अ0सं0 164/20 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक गोण्डा
3. मु0अ0सं0 329/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना इटियाथोक गोण्डा
4. मु0अ0सं0 103/22 धारा 3(1) यु0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक गोण्डा
5. मु0अ0सं0 114/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना इटियाथोक गोण्डा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई जेल में बिताई अवधि का कारावास व रूपए 4,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को जेल में बिताई गयी अवधि का कारावास व रु0 4,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 13.07.2017 को थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त सत्यनरायन उर्फ ननके वर्मा पुत्र सहजराम वर्मा निवासी चहबचवा नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर, कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा ने जेल में बिताई गयी अवधि का कारावास व रू 4,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. सत्यनरायन उर्फ ननके वर्मा पुत्र सहजराम वर्मा निवासी चहबचवा नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 281/2017, धारा 8/20ख एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।